

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (मुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 21-9-2012

-आज्ञा:-

विषय:- राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक+ मोबाइल+ इन्टरनेट + ब्राउज़रैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

राजकीय अधिकारीगण के निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/इन्टरनेट/ब्राउज़रैण्ड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 5.8.11 में अंकित शर्त संख्या "12" को विलोपित कर उसके स्थान पर निम्न प्रकार शर्त संख्या "12" प्रतिरथापित (substitute) की जाती है :—

" 12 राजकीय अधिकारियों को एक माह से छः माह अवकाश पर रहने की स्थिति में बेसिक टेलीफोन का केवल रेन्ट/मोबाइल व इन्टरनेट (ब्राउज़रैण्ड) का प्लान चार्ज़ेज़ का भुगतान देय होगा तथा छः माह पश्चात् बेसिक टेलीफोन/मोबाइल व इन्टरनेट (ब्राउज़रैण्ड) के बिल की राशि का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निजी तौर पर वहन किया जायेगा।"

यह आज्ञा वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 131200561 दिनांक 17.9.12 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

४७
(चन्द्रमोहन मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
3. समरत अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
4. समरत विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।/शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. उप सचिव (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
6. समरत संभागीय आयुक्त।
7. समरत विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)
8. समरत उप शासन सचिवगण, शासन सचिवालय, जयपुर
9. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. समरत कोषाधिकारी।
11. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सचिव, राजस्थान, विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
7. सचिव, कर बोर्ड, अजमेर।

उप शासन सचिव